

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 32 / 2025
दायर दिनांक : 26 / 05 / 2025
निर्णय दिनांक : 24 / 06 / 2025

उनवान

- 1 किशनलाल पिता तेजा बलाई निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
- 2 डाली पिता तेजा बलाई निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
- 3 प्यारा पिता तेजा बलाई निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
- 4 शांता पिता तेजा बलाई निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
- 5 सोवनी पिता तेजा बलाई निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

बनाम

- 1 जयराम पिता कालू सालवी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
- 2 भैरूलाल पिता नारायण सालवी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर

प्रार्थीगण

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी उपस्थित होकर अप्रार्थी स0 1 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं, हस्ताक्षर किए गए। अप्रार्थीगण संख्या 2 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेंड खातेदार हैं। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। **भू अभिलेख निरीक्षक, कांकरवाको 500- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि खाता स0 424 के हाल आ.सं. 2135 रकबा 0.5600 है0, आ.सं. 2137 रकबा 0.1600 है0, आ.सं. 2140 रकबा 0.0800 है0, आ.सं. 2144 रकबा 0.1400 है0, आ.सं. 2146 रकबा 0.0300 है0, आ.सं. 2147 रकबा 0.0400 है0, आ.सं. 2148 रकबा 0.0200 है0, आ.सं. 2154 रकबा 0.2300 है0, आ.सं. 2155 रकबा 0.4600 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 1.7200 है0** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(राजेश सुवालका)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
भूपालसागर

